न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 08/2016
दायर दिनाँक :- 08.12.2016
निर्णय दिनाँक :- 16.04.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
1. शांतिलाल पिता उदयलाल महाजन निवासी - आकोला तहसील - भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)		1. सरपंच ग्रा० पं० आकोला 2. बाबुलाल पिता राजमल महाजन 3. सुन्दरलाल पिता राजमल महाजन निवासीयान- आकोला 4. भूमिधारी तहसीलदार भूपालसागर जिला - चित्तौड़गढ़

नामान्तकरण अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति - श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच वकील अपीलार्थी
श्री बालेन्द्र कोठारी वकील प्रत्यर्थी

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

* निर्णय *

वकील अपीलांट ने एक अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की पेश की। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

(1) यह है कि अपीलांट की पुश्तैनी मौरुसी आराजियात ग्राम आकोला के हल्के में स्थित है। अपीलांट की मौरुसी साबिक आ० न० 2050 रकबा 01-15 बीघा, आ० न० 2051 रकबा 02-02 बीघा, आ० न० 2052 रकबा 01-16 बीघा, आ० न० 2853 रकबा 00-04 बीघा, आ० न० 2854 रकबा 01-18 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 07-15 बीघा स्थित है जो साबिक रेकर्ड की जमाबंदी में संवत 2032-35 अपीलांट के पिता उदयलाल पिता भैरुलाल महाजन के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

(2) यह है कि अपीलांट का [illegible] शजरा निम्न है -

भैरूलाल (मूल [illegible])

उदयलाल

ख्यालीलाल (पुत्र) (लाऔलाद फौत)	राजमल (फौत) (पुत्र) बाबुलाल, सुन्दरलाल	शान्तिलाल (पुत्र)

A [signature] 16.4.21
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सजरे अनुसार उदयलाल की संपत्ति में अपीलांट का बराबर एक-हिस्सा निहित है। इसके साथ ही अपीलांट का लाओलाद भाई ख्यालीलाल 30.8.11 को फौत हो गया, जिसकी सेवा चाकरी अपीलांट ने ही की थी। मृतक ख्यालीलाल के विरासत का इंतकाल प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के पिता ने प्रत्यर्थी सं. 1 से मिलकर बिना अपीलांट को सुने वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1454 दिनॉक 20.10.2011 को फैसल करने में बड़ी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट्स संख्या-1 को यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वह वसीयत के आधार पर बिना एक पक्ष को सुनकर नामान्तकरण फैसल करे।

(3) यह है कि ना०सं. 1454 फैसल दिनॉक 20.10.2011 को रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 व 3 के पिता जो उस समय पटवारी के पद पर कार्यरत थे ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर ना०स० 1454 फैसल करवा कर अपीलांट को उसके अधिकार से वंचित कर दिया। उपरोक्त वैतृक होकर मौरूसी सम्पत्ति है इसलिए कोई भी पक्ष वसीयत के आधार पर स्थानान्तरित नहीं कर सकता है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत संयुक्त अविभाजित मौरूसी जायदाद का हिस्सेदार लाओलाद फौत होता है तो शेष रहे अपत्य (हिस्सेदार) के बराबर भागों में विभाजित होती है। इसलिए ना०सं. 1454 फैसल दिनॉक 20.10.2011 निरस्त योग्य है। अतः नामान्तकरण संख्या 1454 फैसल दिनॉक 20.10.2011 को निरस्त फरमा पुनः नया इंतकाल 1/2 हिस्से का दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट सं. 4 को आदेश करते हुए अपीलांट का नाम वैतृक आराजियात में 1/2 हिस्से से दर्ज करने का आदेश प्रदान करने हेतु अपीलांट ने निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्टस संख्या-2 व 3 की तरफ से वकील श्री बालेन्द्र कोहरी ने अपना वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेन्टस संख्या-4 की तरफ से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। रेस्पोडेन्टस संख्या-1 बाद तामिल हाजिर नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। रेस्पोडेन्टस संख्या-2 व 3 की तरफ से वकील ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-5 कानून मियाद का [illegible] किया जिसमें बताया कि स्वयं अपीलांट ने दिनॉक [illegible] को कोर्ट कपासन में एक वादपत्र मु० नं० 218/1998 रे० वाद ख्यालीलाल व राजमल के विरुद्ध प्रस्तुत किया था जिसमें उक्त आराजियात तीनों के विभाजन होकर अलग-अलग विभाजन की डिक्री प्राप्त होना वर्णित किया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इस बाद में अपीलांट के न्यायालय में शपथ-पत्र पर दिनांक 05.4.95 को बयान हुए उसमें भी उक्त आराजियात में अपना 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया था।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ना०सं० 1454 का दिनांक 20.10.2011 को निर्णय हुआ था। उक्त आराजियात मौरूसी संपति है तथा वादपत्र में सजरे का वर्णन अंकित है। उदयलाल के तीन पुत्र थे जिसमें से ख्यालीलाल लाऔलाद फौत हो गये थे। राजमल द्वारा ख्यालीलाल से वसीयत लिखवा ली क्योंकि राजमल उस वक्त पटवारी था जिसने कूटरचित दस्तावेज तैयार करवा कर वसीयत अपने नाम करवा ली। वसीयत के समय संयुक्त खातेदारी की इस अविभाजित भूमि का बंटवाड़ा नहीं हो रखा था। ना०सं० खोलते वक्त मुझ अपीलांट को सुना नहीं गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि के किसी खातेदार की लाऔलाद मृत्यु होने पर उक्त भूमि उसके शेष रहे सभी वारिसानों को जायेगी। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत ना०सं० 1454 निरस्त योग्य है। वसीयत के आधार पर ना०सं० खोलने की सुनवाई धारा-135 के तहत तहसीलदार के यहाँ होती है। अतः ना०सं० 1454 निरस्त फरमाया जाकर पुनः नया नामान्तकरण खोलकर अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे। वकील रेस्पोंडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात पैतृक संपत्ति नहीं है क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद भूमि तीनों पुत्रों के नाम अलग-अलग दर्ज हो गयी है अतः तीनों पुत्र अलग-अलग खातेदार दर्ज हो गये हैं। शांतिलाल का उसके भाई ख्यालीलाल के साथ झगड़ा था, अतः ख्यालीलाल ने राजमल जिनके साथ वो रहते थे देखरेख करते थे उनके नाम उनके हिस्से की भूमि वसीयत कर दी थी। वसीयतनामा में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया कि शांतिलाल का उक्त भूमि मे कोई हक-हिस्सा नहीं होगा। वसीयत रजिस्टर्ड है। ख्यालीलाल को अपनी संपति को किसी को भी बेचान या वसीयत करने का पूर्ण [illegible] मियाद एक माह की होती है। ना०सं० 1454 [illegible] हुआ जबकि अपील 04.10.2016 को पे[illegible] एक बार चला जिसका मु०न० 219/1998 था जिसमें शांतिला[illegible]ने स्वीकार किया कि यह हमारी तीनों की संपति है। उस बाद में शांतिलाल के बयान हुए जिसमें कोई ऐतराज नहीं किया गया। अपील मियाद अंतर्गत धारा 5 मियाद बाहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

होने के कारण खारिज फरमायी जावे। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। नामान्तकरण की कार्यवाही पंजीकृत / गैर पंजीकृत वसीयत के आधार पर जाँच उपरांत सक्षम अधिकारी / ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकती है। अपीलांट द्वारा पूर्व में किये गये वाद में भी यह स्वीकार किया गया कि उक्त अराजियात में तीनों भाईयों का 1/3-1/3 हिस्सा निहित है। ख्यालीलाल द्वारा अपने एक-हिस्से की आराजियात को अपने भाई के नाम वसीयत करना उसका कानूनी अधिकार है तथा इस वसीयतनामा में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि शांतिलाल मेरी जायदाद (चल-अचल) संपति का किसी भी प्रकार का हिस्सेदार अथवा मालिक नही होगा तथा मेरी तमाम चल-अचल संपत्ति का मालिक राजमल-चपलोत निवासी आकोला ही होगा। उपरोक्त वसीयतनामा के आधार पर ग्राम पंचायत आकोला द्वारा नाण्सं. 454 खोलने में कोई त्रुटि नही की गयी है।

अत: पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वकील उभयपक्ष की बहस के आधार पर अपीलांट की अपील अंतर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनाँक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.4.21

(सुखाराम पिण्डेल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.06.04 12:14:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner